विविध **बैंक प्रकरण संख्या 53/2021(GCMS : 2021/163) भारतीय स्टेट बैंक जरिये** प्राधिकृत अधिकारी श्री परवीन्द्र सिंह सग्गू, मुख्य प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय–03, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर **बनाम 1. मैसर्स संदीप कुमार राधे श्याम भादू–प्रो. श्री संदीप कुमार भादू** पुत्र भूप सिंह भादू, दुकान नं. 43, नई धान मंडी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर एवं मकान नं. 2/6 आरएचबी कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, वार्ड नं. 04/06, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर **2. भूप सिंह भादू** पुत्र जयमल सिंह भादू निवासी मकान नं. 2/6 आरएचबी कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, वार्ड नं. 04/06, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 30.09.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण मैसर्स संदीप कुमार राधेश्याम भादू एवं भूप सिंह भादू** को ऋण सुविधा के रूप में 16.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये सोलह लाख मात्र) का ऋण दिनांक 03.02.2011 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी भूप सिंह की रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 2/6 आरएचबी कॉलोनी (क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर), हाउसिंग बोर्ड, वार्ड नं. 04/06, सूरतगढ प्रार्थी बैं[illegible] आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की श[illegible] ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस क[illegible]ता दिनांक 31.10.[illegible] को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घो[illegible] कर दिया गया है। [illegible]र्थी ऋणी के नाम दिनांक 1302.2019 को 16,44,252/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है **जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 23.03.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया।** धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थीगण **मैसर्स संदीप कुमार राधेश्याम भादू एवं भूप सिंह भादू** को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 24.03.2021 को भिजवाये गये, जो अप्रार्थीगण लेने से इंकार कर दिये इसलिए धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण बंधक सम्पत्ति पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों में प्रकाशन भी करवाया है **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी भूप सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक के पास अपनी रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 2/6 आरएचबी कॉलोनी (क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर), हाउसिंग बोर्ड, वार्ड नं. 04/06, सूरतगढ का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण मैसर्स संदीप कुमार राधेश्याम भादू एवं भूप सिंह भादू** को 16.00/—लाख रूपये (अखरे रूपये सोलह लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति 03.02.2011 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी भूप सिंह की रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 2/6 आरएचबी कॉलोनी (क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर), हाउसिंग बोर्ड, वार्ड नं. 04/06, सूरतगढ प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **31.10.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 23.03.2021 को जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 24.03.2021 को भिजवाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

गया किन्तु अप्रार्थीगण ने नोटिस लेने से मना किया की रिपोर्ट के साथ नोटिस वापिस बैंक को प्राप्त हो गये इसलिए प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस अप्राथीगण की बंधक सम्पत्ति पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इंडियन एक्सप्रैस में दिनांक 09.04.2021 को प्रकाशन करवाया है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी भूप सिंह द्वारा अपनी रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 2/6 आरएचबी कॉलोनी (क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर), हाउसिंग बोर्ड, वार्ड नं. 04/06, सूरतगढ जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 23.03.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 23.03.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 24.03.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थी ने नोटिस लेने से इंकार कर दिया, इसलिए प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस की चस्पांदगी उसकी बंधक सम्पत्ति/निवास पर कर दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इंडियान एक्सप्रैस

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

में दिनांक 09.04.2021 को प्रकाशन भी करवाया है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋणी भूप सिंह के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 भूप सिंह की रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 2/6 आरएचबी कॉलोनी (क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर), हाउसिंग बोर्ड, वार्ड नं. 04/06, सूरतगढ **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible]2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:02 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर